भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्नभ सं 2032

(15 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत निधि की कमी

2032. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मनरेगा निधि में कोई पैसा नहीं बचा है और योजना 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवल ऋणात्मक शेष पर चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधित प्राक्कलन 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में कम बजटीय आवंटन इस कमी का कारण है;

(ग) सरकार द्वारा योजना के तहत कार्य हेतु मांग का सही आकलन नहीं कर पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कमी के कारण कितने परिवारों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी?

उत्त र
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां वित्तीय वर्ष के दौरान 'स्वीकृत' श्रम बजट एवं राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर जारी की जाती हैं।

बजट अनुमान चरण में निधियों के आवंटन में विगत वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 18% से अधिक की वृद्धि हुई है जो 61,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 73,000 करोड़ रुपए है। हाल ही में , महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधियाँ अंतरिम उपाय के रूप में आवंटित की गई हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना से रोजगार की प्राप्ति कई कारकों से प्रभावित होती है और इसका अग्रिम रूप से पूर्णतः पुर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए स्वीकृत श्रम बजट , विगत पद्धतियों इत्यादि के उपयोग के आधार पर राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के श्रम बजट में संशोधन की अंतर्निहित प्रणाली है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियाँ जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उपलब्ध निधियाँ वर्तमान मजदूरी देयता पूरा करने हेतु पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त , संशोधित अनुमान (आरई) चरण के दौरान मांग के आधार पर अधिक आवंटन किया जा सकता है।